विज्ञापन संख्या (1/सेवा–1/2008–09)

उत्तराखण्ड शासन

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग

गुरूकुल कांगड़ी, हरिद्वार – 249404

विज्ञापन की तिथि – 30 मई, 2009

आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने की अन्तिम तिथि – 30 जून, 2009

उत्तराखण्ड शासन के माध्यमिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत प्रदेश के राजकीय इण्टर कॉलेजों/राजकीय कन्या इण्टर कॉलेजों में विभिन्न विषयों के प्रवक्ताओं के पदों पर चयन हेतु भारतीय नागरिकों से ओ0एम0आर0 आवेदन–पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। पदों की संख्या घट/बढ़ सकती हैं। उक्त विज्ञापन के विषय में जानकारी उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की वेबसाइट www.gov.ua.nic.in/ukpsc पर भी प्राप्त की जा सकती है। पदों का विषयवार विवरण निम्नवत् हैः–

1. पदों का विवरण –

राजकीय इन्टर कॉलेजों में प्रवक्ता (महिला शाखा) – 190 पद

क्र0सं0	विषय	विषय कोड	रिक्तियों की संख्या	अनु0जाति	अनु0जनजाति	अन्यपिछड़ा वर्ग	अनारक्षित
01.	अंग्रेजी	01	16	7	1	4	4
02.	समाजशास्त्र	02	4	0	0	0	4
03.	हिन्दी	03	16	2	1	4	9
04.	अर्थशास्त्र	04	8	0	2	0	6
05.	भूगोल	05	8	3	1	2	2
06.	नागरिकशास्त्र	06	19	5	2	3	9
07.	शिक्षाशास्त्र	07	1	0	0	0	1
08.	कला	08	2	0	0	0	2
09.	भौतिकी	09	15	5	2	5	3
10.	रसायन	10	26	8	2	6	10
11.	जीव विज्ञान	11	16	5	2	3	6
12.	संस्कृत	12	16	2	1	3	10
13.	गणित	13	14	5	1	1	7
14	कृषि	14	2	1	0	0	1
15.	इतिहास	15	12	1	1	3	7
16.	गृहविज्ञान	16	15	4	1	4	6
	योग		190	48	17	38	87

राजकीय इन्टर कॉलेजों में प्रवक्ता (सामान्य शाखा) – 1214 पद

क्र0सं0	विषय	विषय कोड	रिक्तियों की संख्या	अनु0जाति	अनु0जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनारक्षित
01.	अंग्रेजी	01	70	25	9	26	10
02.	समाजशास्त्र	02	15	2	2	4	7
03.	हिन्दी	03	178	43	12	32	91
04.	अर्थशास्त्र	04	168	39	12	31	86
05.	भूगोल	05	94	25	7	18	44
06.	नागरिकशास्त्र	06	150	32	11	29	78
07.	शिक्षाशास्त्र	07	2	0	0	1	1
08.	कला	08	5	0	0	1	4
09.	भौतिकी	09	98	43	14	21	20
10.	रसायन	10	104	38	12	21	33
11.	जीव विज्ञान	11	92	24	13	22	33
12.	संस्कृत	12	108	27	10	23	48
13.	गणित	13	69	27	10	16	16
14.	कृषि	14	4	1	0	0	3

15.	इतिहास	15	51	15	5	13	18
16.	वाणिज्य	17	6	3	1	2	0
	योग		1214	344	118	260	492

2. वेतनमान :– 6500–200–10,500

1. पद का स्वरुप :– अराजपत्रित / अं ादायी पें ानयुक्त / स्थायी / अस्थाई।
2. आयु सीमा :– 21 से 35 व र् । आयु गणना की नि चायक तिथि 01 जुलाई, 2009 है, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 02.07.1974 से पूर्व का तथा 01.07.1988 के बाद का नहीं होना चाहिए। उत्तराखण्ड के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों तथा विकलांग अभ्यर्थियों के लिए (यदि पद आरक्षित हों तो) विद्यमान ाासनादे ा के प्राविधानों के अनसुार अधिकतम आयु सीमा में छूट अनुमन्य होगी।
3. ौक्षिक अर्हताएं :–

(1) प्रवक्ता समाज ाास्त्र, भूगोल, अर्थ ाास्त्र, इतिहास, भौतिक ाास्त्र, रसायन ाास्त्र, कृि ाास्त्र, गणित, अंग्रेजी, वाणिज्य, संस्कृत पदों के लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी वि वविद्यालय से सम्बद्ध वि ाय में स्नातकोत्तर उपाधि एवं राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान / महाविद्यालय से एल0टी0 डिप्लोमा या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी वि वविद्यालय से ािक्षा ाास्त्र में स्नातक उपाधि (बी0एड0) ।

(2) प्रवक्ता नागरिक ाास्त्र पद के लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी वि वविद्यालय से राजनीति ाास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि एवं राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान / महाविद्यालय से एल0टी0 डिप्लोमा या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी वि वविद्यालय से ािक्षा ाास्त्र में स्नातक उपाधि (बी0एड0)।

(3) प्रवक्ता जीव विज्ञान पद के लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी वि वविद्यालय से वनस्पति विज्ञान या जन्तु विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि एवं राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान / महाविद्यालय से एल0टी0 डिप्लोमा या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी वि वविद्यालय से ािक्षा ाास्त्र में स्नातक उपाधि (बी0एड0)।

(4) प्रवक्ता ािक्षा ाास्त्र पद के लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी वि वविद्यालय से ािक्षा ाास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि एवं राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान / महाविद्यालय से एल0टी0 डिप्लोमा या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी वि वविद्यालय से ािक्षा ाास्त्र में स्नातक उपाधि (बी0एड0)

या

भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी वि वविद्यालय से ािक्षा ाास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि (एम0एड0)।

(5) प्रवक्ता हिन्दी पद के लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी वि वविद्यालय से हिन्दी में स्नातकोत्तर उपाधि तथा संस्कृत वि ाय के साथ कला स्नातक या संस्कृत वि वविद्यालय, वाराणसी की ाास्त्री परीक्षा का प्रमाण–पत्र एवं राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण

संस्थान/महाविद्यालय से एल0टी0 डिप्लोमा या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी वि ववविद्यालय से ािक्षा ाास्त्र में स्नातक उपाधि (बी0एड0) ।

(6) प्रवक्ता गृहविज्ञान पद के लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी वि ववविद्यालय से गृह कला या गृह विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि तथा राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रािक्षण संस्थान/महाविद्यालय से एल0टी0 डिप्लोमा या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी वि ववविद्यालय से ािक्षा ाास्त्र में स्नातक उपाधि (बी0एड0)।

(7) प्रवक्ता कला पद के लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी वि ववविद्यालय से रेखांकन और चित्र कला (ड्राईंग एण्ड पेन्टिंग) में स्नातकोत्तर उपाधि तथा राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रािक्षण संस्थान/महाविद्यालय से एल0टी0 डिप्लोमा या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी वि ववविद्यालय से ािक्षा ाास्त्र में स्नातक उपाधि (बी0एड0)।

6. अधिमानी अर्हताएं :–

टिप्पणीः– अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जायेगा जिसने :–

1. प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो। या
2. राष्ट्रीय कैडिट कोर का ''बी'' प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो। या,
3. एन0एस0एस0 का "सी" प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो।

नोट : उक्त पदो हेतु निर्धारित अनिवार्य ौक्षिक अर्हताओं के अतिरिक्त कोई अन्य अर्हताएं स्वीकार नहीं की जायेंगी। अभ्यर्थी एक वि ाय के प्रवक्ता पद के लिए एक ही ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र भरे । एक से अधिक वि ायों के प्रवक्ता पदों के लिए अलग–अलग ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र भरना अनिवार्य है। पुरु ा अभ्यर्थी केवल सामान्य ााखा तथा महिला अभ्यर्थी दोनों ााखाओं (महिला एवं सामान्य ााखा) हेतु आवेदन कर सकती है। इस हेतु महिला अभ्यर्थियों को पृथक–पृथक ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र भरना होगा।

<u>आवेदन कैसे करें</u>

ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र निर्दे ाों सहित दिनांक 01 जून, 2009 से 30 जून, 2009 तक निम्नलिखित डाकघर/उप डाकघर की ााखाओं से सामान्य, अन्य पिछड़ें वर्गों के लिए तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित अभ्यर्थी हेतु आवेदन–पत्र का निर्धारित ाुल्क रू0 110/–(आवेदन ाुल्क रू0 100 + डाकघर चार्ज रू0 10) तथा उत्तराखण्ड के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति द्वारा रु0 70/–(आवेदन ाुल्क रू0 60 + डाकघर चार्ज रू0 10) का नकद भुगतान कर प्राप्त कर सकते है। अभ्यर्थी आवेदन पत्र के साथ "ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र भरने हेतु निर्दे ा" अव य प्राप्त कर लें।

<u>ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र भरने हेतु अनुदे ा</u> :–

1. अभ्यर्थी विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें और तभी आवेदन करें जब वह संतु ट हो कि वे विज्ञापन की ार्तों को पूरा करते है, विज्ञापन में दी गई ार्तों के अनुसार प्रवि टि न करने पर आवेदन पत्र अस्वीकार किये जा सकते है।

2. अभ्यर्थी जिस वि ाय के प्रवक्ता पद पुरु ा/महिला ााखा संवर्ग हेतु आवेदन करना चाहता है, उस वि ाय/ ाखा का उल्लेख ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र के निर्धारित स्तम्भ में अव य करें, ऐसा न करने पर अभ्यर्थी का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।

3. अभ्यर्थी ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र के साथ दिये गये विण्डो लिफाफे में रु0 30 का डाक टिकट लगाएं। अभ्यर्थी नवीनतम पासपोर्ट आकार का अभिप्रमाणित फोटो आवेदन पत्र में निर्दि ट स्थान पर अच्छी तरह से चिपकाएं। फोटोग्राफ किसी राजपत्रित अधिकारी या स्वयं के द्वारा अभिप्रमाणित होना चाहिए। उक्त अनुदे ा का पालन न करने पर आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।

4. किसी भी आरक्षित श्रेणी में आने वाले अभ्यर्थी यदि वे आरक्षण का लाभ चाहते है तो आवेदन पत्र के सम्बन्धित स्तम्भ में ाब्दों में अपनी श्रेणी/श्रेणियों (एक या एक से अधिक जो भी हो) अव य अंकित

करें, ऐसा न करने पर वे सामान्य अभ्यर्थी समझे जायेंगे और उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं दिया जायेगा।

5. अभ्यर्थी अपने ओ0एम0आर0 आवेदन–पत्र की एक फोटो प्रति करवाकर अपने पास अव य रखें तथा भवि य में होने वाले पत्राचार में ओ0एम0आर0 आवेदन–पत्र संख्या का उल्लेख अव य करें। विज्ञापन में इंगित डाकघरों के माध्यम से ओ0एम0आर0 आवेदन–पत्र प्राप्त कर सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन पत्र ''सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड, गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार, 249404' के कार्यालय में दिनांक 30 जून, 2009 को सायं 6.00 बजे तक या उसके पूर्व आयोग कार्यालय के काउन्टर पर हाथों–हाथ अथवा रजिस्टर्ड डाक द्वारा अथवा स्पीड पोस्ट द्वारा अव य पहुँच जाने चाहिये। इसके अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम से प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

<u>जिलेवार डाकघर की ााखायें जहाँ से आवेदन–पत्र प्राप्त किये जा सकते हैं</u> :– 1. अल्मोड़ा– अल्मोड़ा–मुख्य डाकघर, रानीखेत–मुख्य डाकघर, भिकियासेण–उप डाकघर, द्वाराहाट–उप डाकघर, मासी–उप डाकघर 2. बागे वर– बागे वर–मुख्य डाकघर, बैजनाथ–उप डाकघर, कपकोट–उप डाकघर, कांडा–उप डाकघर, 3. चमोली– गोपे वर– मुख्य डाकघर, जो ीमठ–उप डाकघर, चमोली–उप डाकघर, कर्णप्रयाग–उप डाकघर, 4. चम्पावत– चम्पावत– मुख्य डाकघर, लोहाघाट–उप डाकघर, देवीधूरा–उप डाकघर, टनकपुर–उप डाकघर, 5. देहरादून– देहरादून–मुख्य डाकघर, मसूरी–उप डाकघर, ऋ िके ा–उप डाकघर, विकास नगर–उप डाकघर, प्रेमनगर–उप डाकघर, राजपुर–उप डाकघर, डोईवाला–उप डाकघर, चकराता–उप डाकघर, 6. हरिद्वार–हरिद्वार– मुख्य डाकघर, रूड़की–मुख्य डाकघर, लक्सर–उप डाकघर, बी.एच.ई.एल.–उप डाकघर, 7. नैनीताल–नैनीताल– मुख्य डाकघर, रामनगर–उप डाकघर, हल्द्वानी–मुख्य डाकघर, ओखलकांडा–उप डाकघर, 8. गढ़वाल– पौड़ी–मुख्य डाकघर, कोटद्वार–मुख्य डाकघर, लैन्सडाउन–मुख्य डाकघर, श्रीनगर–उप डाकघर, धूमाकोट–उप डाकघर, 9. पिथौरागढ़– पिथौरागढ़–मुख्य डाकघर, गंगोलीहाट–उप डाकघर, बेरीनाग–उप डाकघर, डीडीहाट–उप डाकघर, धारचूला– उप डाकघर, थल–उप डाकघर, मुन्सियारी–उप डाकघर 10. रूद्रप्रयाग–रूद्रप्रयाग–मुख्य डाकघर, ऊखीमठ– उप डाकघर, 11. टिहरी गढ़वाल– न्यू टिहरी–मुख्य डाकघर, नरेन्द्र नगर–उप डाकघर, घनसाली–उप डाकघर, 12. ऊधम सिंह नगर– रूद्रपुर–मुख्य डाकघर, पन्तनगर–उप डाकघर, का ीपुर–उप डाकघर, खटीमा–उप डाकघर 13. उत्तरका ी– उत्तरका ी–मुख्य डाकघर, बड़कोट–उप डाकघर, पुरोला–उप डाकघर।

<u>सामान्य अनुदे ा</u>

(1) निर्धारित तिथि के बाद आवेदन पत्र किसी भी द ाा में स्वीकार नहीं किये जायेंगे। अपेक्षित सूचनाओं से रहित अपूर्ण आवेदन पत्र तथा ऐसे आवेदन पत्र जिस पर अभ्यर्थियों के हस्ताक्षर नहीं है, समय से प्राप्त होने के बावजूद सरसरी तौर पर निरस्त कर दिये जायेंगे। बिना निर्धारित ाुल्क/निर्धारित ाुल्क से कम ाुल्क वाले आवेदन पत्र भी अस्वीकार कर दिये जायेंगे। इस सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।

(2) हिन्दी का ज्ञान अनिवार्य है।

(3) <u>रा ट्रीयता–</u> सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आव यक है कि अभ्यर्थी–

(क) भारतीय नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती ारणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो, या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी दे ा, केन्या, युगाण्डा और यूनाइटेड रिपब्लिक आफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तंजानियाँ और जंजीबार) प्रवजन किया हो : परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया गया हो, परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह उप–महानिरीक्षक, गुप्तचर ााखा उत्तराखण्ड से पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त कर ले :

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण पत्र एक व ी से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक व ी की अवधि के आगे सेवा में इस ार्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर लें।

(4) वैवाहिक प्रस्थिति :–

वैवाहिक स्थिति सम्बन्धी सेवा नियमावली में उल्लिखित ाब्द – ऐसा कोई पुरु ा/स्त्री

(i) जिसने किसी ऐसी स्त्री/पुरु ा से विवाह किया हो जिसका पहले से जीवित पति/पत्नी हों,

या

(ii) जिसका पति/पत्नी जीवित होते हुए, उसने किसी स्त्री/पुरु ा से विवाह किया हो।

उक्त सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा, परन्तु यह कि राज्यपाल किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते है, यदि उनका यह समाधान हो जाएं कि ऐसा करने के लिए वि ो ा कारण विद्यमान है।

(5) आयुसीमा :– आयुसीमा 21 से 35 व ा है। आयु गणना की नि चायक तिथि 01.07.2009 है, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 02.07.1974 से पूर्व का तथा 01.07.1988 के बाद का नहीं होना चाहिए।

<u>अधिकतम आयु सीमा में छूटः–</u> उत्तराखण्ड के अनुसूचित जाति, अनु0जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, विकलांग अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 व ा की छूट अनुमन्य होगी। (यह छूट केवल उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी निवासी अभ्यर्थियों को ही अनुमन्य होगी)। आपात कमी ान प्राप्त अधिकारियों/अल्पकमी ान प्राप्त अधिकारियों/पूर्व सैनिकों के लिए जिन्होंने सेना में कम से कम 05 व ा की सेवा पूरी कर ली हो, अधिकतम आयुसीमा उनके द्वारा सेना में की गई सम्पूर्ण सेवा अवधि के अतिरिक्त 03 व ा और अधिक होगी। ाासनादे ा संख्या–कार्मिक–17/2/1981–कार्मिक–2 दिनांक 28–02–85 के प्राविधानों के अनुसार यह छूट ऐसे सैनिकों/सैन्य अधिकारियों को भी अनुमन्य होगी, जो आवेदन पत्र प्राप्त किये जाने की अन्तिम तिथि से अगले 6 माह के भीतर अवका ा ग्रहण करने वाले होंगे। ाारीरिक रुप से विकलांग व्यक्तियों के लिए यदि पद आरक्षित है तो आयु में 10 व ा की छूट अनुमन्य होगी। ाासनादे ा संख्या– 22 /21 / 1983 – कार्मिक–2 दिनांक 28–11–85 के अनुसार रा ट्रीय अथवा अन्तर्रा ट्रीय स्तर के वर्गीकृत खेलों के कु ाल खिलाड़ियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 व ा की छूट अनुमन्य होगी। ऐसे अभ्यर्थियों को इस विज्ञापन में मुद्रित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी से प्रमाण पत्र प्राप्त कर आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा। अभ्यर्थी आवेदन पत्र के सम्बन्धित स्तम्भ में अपनी श्रेणी का उल्लेख भी अव य करें अन्यथा आयुसीमा में कोई छूट अनुमन्य नहीं होगी। एक से अधिक आरक्षित श्रेणी/उपश्रेणी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को एक छूट जो अधिक लाभकारी होगी, दी जायेगी। ाासनादे ा संख्या 1270/तीस–2/2004 दिनांक 11 अगस्त, 2004 के अनुसार 07 दिन से कम जेल जाने वाले उ तराखण्ड राज्य आंदोलनकारियों को सेवा में अधिकतम 50 व ा की आयु तक छूट अनुमन्य होगी।

(6) <u>आरक्षणः–</u> उत्तराखण्ड के अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, तथा अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण विद्यमान ाासनादे ाों के अनुसार दिया जायेगा। इसी प्रकार क्षैतिज आरक्षण उत्तराखण्ड {उत्तर प्रदे ा लोक सेवा (ाारीरिक रुप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 } अनुकूलन एवं उपान्तरण आदे ा, 2002, उत्तर प्रदे ा लोक सेवा (ाारीरिक रुप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण अधिनियम 1993 (सं ाोधन) अधिनियम 2009 के प्राविधानों के अन्तर्गत, ाासनादे ा संख्या 2422/**XXX**(2)/2005 दिनॉक 22 अगस्त, 2005 के अनुसार विकलांगता की चिन्हित श्रेणी में देय होगा। इसी प्रकार ाासनादे ा संख्या 2461/XXX(2)/2006 दिनांक 06 अक्टूबर, 2006 के अनुसार कु ाल खिलाड़ियों, ाासनादे ा संख्या 735/XVII(2)/2006 दिनांक 09 सितम्बर, 2006 के अनुसार उत्तराखण्ड की महिलाओं तथा ाासनादे ा संख्या 1270/तीस–2/2004 दिनांक 11 अगस्त, 2004 के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य आंदोलनकारियों को भी क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत आने वाली श्रेणियों/उप श्रेणियों को आरक्षण निम्नवत् अनुमन्य होगा –

(अ) ाासनादे ा संख्या 1270/तीस–2/2004 दिनांक 11 अगस्त, 2004 के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य आंदोलन के दौरान 07 दिन से कम जेल जाने वाले आन्दोलनकारियों को राजकीय सेवा में अधिकतम 50 व ा की आयु तक नियुक्ति हेतु चयन में 05 प्रति ात का अधिमान दिया जायेगा तथा अगले 05 व ाों के लिए 10 प्रति ात क्षैतिज आरक्षण की सुविधा अनुमन्य होगी।

(ब) ाासनादे ा संख्या 4020/XX (4)–7/उ0आन्दो0/2006, दिनांक 08 नवम्बर, 2006 में वर्णित प्राविधानों के अनुसार 07 दिन या उससे अधिक अवधि के लिए जेल गये अथवा घायल हुए आन्दोलनकारी पर पूर्णरुप से आश्रित हो, को ाासनादे ा संख्या 1270/तीस–2/2004, दिनांक 11 अगस्त, 2004 के अन्तर्गत अनुमन्य 10 प्रति ात क्षैतिज आरक्षण का लाभ अनुमन्य होगा :–

1. वे चिन्हित आन्दोलनकारी जिनकी आयु 50 व ा से अधिक है और सेवायोजन के इच्छुक नहीं है।

2. ऐसे चिन्हित आन्दोलनकारी जो ारीरिक अथवा मानसिक रुप से अक्षम होने के कारण स्वयं सेवा करने हेतु अनिच्छुक अथवा अक्षम है।

3. उपरोक्त श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले आन्दोलनकारी के परिवार के एक सदस्य को उस पद की जिसके लिए आवेदन कर रहा है, निर्धारित ौक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा की र्त पूर्ण करनी होगी।

उपरोक्तानुसार श्रेणी में आने वाले आन्दोलनकारियों द्वारा प्रार्थना–पत्र के साथ उक्त श्रेणी में आच्छादित होने का ापथ–पत्र भी दिया जाये गा, जिसकी पु टि सम्बन्धित विभाग/प्राधिकारी द्वारा गृह विभाग द्वारा जारी किये गये दि ाा–निर्दे ाों के अन्तर्गत सम्बन्धित जिलाधिकारी के माध्यम से की जायेगी।

उक्त श्रेणी में चिन्हित आन्दोलनकारी के परिवार के एक आश्रित सदस्य को 10 प्रति ात क्षैतिज आरक्षण की सु विधा प्र दान किये जाने के लिए परिवार के सदस्यों, जो कि आन्दो लनकारी पर आश्रित है , की श्रेणी में निम्नलिखित आयेंगे :–

1. पत्नी 2. आश्रित पुत्र 3. अविवाहित पुत्रियां या विधवा पुत्रियां।

(स) उत्तराखण्ड की महिलाओ ं को 30 प्र ति ात, उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को 02 प्रति ात, उत्तराखण्ड के राज्य आंदोलनकारियों को 10 प्रति ात, उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिकों को 05 प्रति ात, उत्तराखण्ड के कु ाल खिलाड़ियों को 04 प्रति ात तथा उत्तराखण्ड के ारीरिक रुप से विकलांग अभ्यर्थियों को 03 प्रति ात क्षैतिज आरक्षण विद्यमान अद्यतन ासनादे ाों के अनुसार देय होगा।

विभिन्न उपश्रेणी के क्षैतिज आरक्षण का लाभ केवल उत्तराखण्ड के अधिवासी अभ्यर्थियों को ही देय होगा।

(7) प्रत्येक अभ्यर्थी से ुल्क आवेदन पत्र के मूल्य के रुप में लिया जायेगा जो लिफाफे पर अंकित है। अभ्यर्थी को अलग से कोई बैंक ड्राफ्ट जमा नहीं करना है। सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रितों के लिए ुल्क रु0 110/– (रु0 100 आवेदन ुल्क + रु0 10 डाकघर चार्जेज) तथा उत्तराखण्ड की अनुसूचित जाति/अनु0जनजाति/ विकलांग के लिए रु0 70/– (रु0 60 आवेदन ुल्क + रु0 10 डाकघर चार्जेज) है।

नोट :– आवेदन पत्र के विभिन्न स्तम्भों में अंकित सूचनाओं के अतिरिक्त कोई अन्य प्रमाण–पत्र संलग्न नहीं करना है।

(8) यदि विज्ञापन के आधार पर प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अधिक हो और आयोग के लिए इन सभी उम्मीदवारों का साक्षात्कार करना सु विधाजनक या संभव नहीं हो तो आयो ग निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक तरीकों द्वारा साक्षात्कार हेतु उम्मीदवारों की छँटनी कर सकता है :–

(क) विज्ञापन में निर्धारित न्यूनतम अर्हताओं तथा अनुभव की अपेक्षा अधिक यो ग्यता और अनुभव के आधार पर या,

(ख) संगत क्षेत्र में अनुभव के आधार पर या ,

(ग) अनिवार्य अर्हता प्राप्त करने के पहले या बाद के अनुभव को जोड़कर या,

(घ) प्राक्चयन परीक्षण आयोजित करके।

(9) न्यूनतम ौक्षिक अर्हता स्क्रीनिंग परीक्षा/साक्षात्कार में बुलाये जाने के लिए यथे ट नहीं है। मात्र अर्हता धारित करना अभ्यर्थी को साक्षात्कार/स्क्रीनिंग परीक्षा के लिए आहूत किये जाने अथवा चयन के लिए अधिकार नहीं देता है। स्क्रीनिंग परीक्षा की द ाा में एक वस्तुनि ठ प्र ति का प्र नपत्र होगा तथा प्र नों के मूल्यांकन में ऋणात्मक पद्धति अपनाई जायेगी। स्क्रीनिंग परीक्षा/साक्षात्कार तिथि की सूचना बाद में भेजी जायेगी।

(10) पद/पदों के लिए आवेदकों की सं ख्या अधिक हो ने पर यदि आयोग चाहे तो स्क्रीनिंग टेस्ट आयोजित कर सकता है। यदि आव यक हुआ तो संभावित स्क्रीनिंग परीक्षा निम्नलिखित नगरों पर आयोजित की जायेगी। अभ्यर्थी ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र के क्रमांक 14 में परीक्षा हेतु नियत परीक्षा केन्द्र का कोड अव य अंकित करें तथा सम्बन्धित गोला काला करें। केन्द्र का कोड अंकित न किये जाने पर आयोग द्वारा अभ्यर्थी को अपनी सुविधानुसार परीक्षा केन्द्र आवंटित किया जाएगा :–

क्र0सं0	परीक्षा केन्द्र/नगर का नाम	केन्द्र/नगर कोड
01.	अल्मोड़ा (अल्मोड़ा)	01
02.	पिथौरागढ़ (पिथौरागढ़)	02
03.	नैनीताल (नैनीताल)	03
04.	हल्द्वानी (नैनीताल)	04
05.	रुद्रपुर (ऊधमसिंह नगर)	05
06.	बागे वर (बागे वर)	06

07.	पौड़ी (पौड़ी गढ़वाल)	07
08.	कोटद्वार (पौड़ी गढ़वाल)	08
09.	गोपे वर (चमोली)	09
10.	नई टिहरी (टिहरी गढ़वाल)	10
11.	रुद्रप्रयाग (रुद्रप्रयाग)	11
12.	उत्तरका ी (उत्तरका ी)	12
13.	देहरादून (देहरादून)	13
14.	हरिद्वार (हरिद्वार)	14

(11) केवल वही उम्मीदवार स्क्रीनिंग परीक्षा में सम्मिलित किये जायेंगे जो आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि तक विज्ञापित पदों हेतु अनिवार्य अर्हता पूर्ण करते हो तथा अभ्यर्थी द्वारा इसका (अनिवार्य अर्हता) उल्लेख आवेदन पत्र में किया गया हो । अतः आवेदनकर्ता स्वयं अपनी अर्हता की जांच पूरा करने पर ही आवेदन पत्र नियत समय पर आयोग कार्यालय में जमा करें।

(12) किसी भी उम्मीदवार को स्क्रीनिंग परीक्षा में तब तक प्रवे ा नहीं दिया जाएगा जब तक कि उसके पास आयोग द्वारा जारी किया गया प्रवे ा पत्र न हो।

(13) स्क्रीनिंग परीक्षा में उम्मीदवार को मात्र प्रवे ा पत्र जारी किये जाने का अर्थ यह नहीं होगा कि उसकी उम्मीदवारी आयोग द्वारा अन्तिम रुप से सुनि िचत कर दी गई है। अभ्यर्थी की उम्मीदवारी का नि चय बाद में साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र एवं संलग्न किये गये प्रमाण–पत्रों की जांच के बाद ही किया जायेगा।

(14) स्क्रीनिंग परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर रिक्त पदों की संख्या के अनुसार आयोग द्वारा निर्धारित संख्या में अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु अर्ह घो ित किया जायेगा। स्क्रीनिंग परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा लिखित रुप से सूचित किया जायेगा तथा उन्हें आयोग द्वारा प्रे ित नवीन आवेदन पत्र भरकर आयोग कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। अभ्यर्थियों को इस आवेदन के साथ अपने सभी वांछित प्रमाण पत्र संलग्न करने होंगे। स्क्रीनिंग परीक्षा के प्राप्तांकों को साक्षात्कार परीक्षा में नहीं जोड़ा जायेगा। साक्षात्कार परीक्षा हेतु अधिकतम 100 अंक निर्धारित है।

(15) स्क्रीनिंग परीक्षा से सम्बन्धित आव यक निर्दे ा, परीक्षा योजना तथा परिणाम आदि की जानकारी उत्तराखण्ड ाासन/आयोग की वेबसाइट www.gov.ua.nic.in पर भी उपलब्ध रहेगी।

(16) मूल प्रमाण पत्रों की आव यकता साक्षात्कार के समय जॉच के लिए होगी। उस समय अभ्यर्थियों को अपने विभागाध्यक्ष अथवा उस संस्था के प्रधान द्वारा जहॉ उन्होंने ािक्षा पाई हो अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ प्रस्तुत करना होगा।

(17) ऐसे अभ्यर्थियों को जो केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन कार्यरत हो, साक्षात्कार के समय अपने सेवा नियोजक का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(18) अभ्यर्थी की सम्बन्धित पद हेतु पात्रता/अर्हता के सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।

(19) आयोग अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में कोई पराम ा नहीं देते हैं। इसलिए उन्हें विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करना चाहिए और तभी आवेदन करें जब वे सन्तु ट हो जायें कि वे विज्ञापन की ार्तो के अनुसार अर्ह हैं।

(20) स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों की श्रेणी में केवल पुत्र, पुत्री तथा पौत्र (पुत्र का पुत्र) एवं अविवाहित पौत्रियां ही आती हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से केवल उपर्युक्त सम्बन्ध ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि अभ्यर्थी को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का वास्तव में आश्रित भी होना चाहिए। अभ्यर्थियों का ध्यान ाासनादे ा दिनांक 22–1–1982, 8–3–1983 तथा ाासनादे ा संख्या 3014/ कार्मिक–2, 1982 दिनांक 18–10–82 के साथ पठित ाासनादे ा संख्या–6/1972– कार्मिक–2 दिनांक 15–1–83 की ओर आकृ ट करते हुए सूचित किया जाता है कि अब उक्त श्रेणी के अभ्यर्थी आरक्षण वि ायक प्रमाण पत्र ाासनादे ा संख्या 4/3/82–का–2/1997 दिनांक 26–12–97 के निर्धारित प्रारुप पर जिलाधिकारी से प्राप्त कर प्रस्तुत करें। (जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में भी लागू है।)

(21) उम्मीदवार का मानसिक तथा ारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए और उसमें ऐसा कोई ारीरिक दो ा नहीं होना चाहिए, जिससे सेवा के रुप में उसके कर्तव्यों को कु ालतापूर्वक निर्वहन करने में कोई बाधा पड़ने की संभावना हो।

(22) साक्षात्कार परीक्षा में सफल होने पर अभ्यर्थी को नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता जब तक कि ासन का, ऐसी जांच करने के प चात् जैसी आव यक समझी जाएं, यह समाधान न हो जाएं कि वह नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है।

(23) किसी अनाचार जैसे किसी महत्वपूर्ण सूचना के छिपाने, तथ्यों के गलत प्रस्तुत करने तथा अभ्यर्थन के सम्बन्ध में समर्थन प्राप्त करने आदि के कृत्यों में लिप्त अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन निरस्त करने का अधिकार आयोग को होगा। ऐसे अभ्यर्थियों को आयोग के आगामी चयनों से 5 व ोंं की अवधि के लिए प्रतिवारित भी किया जा सकता है।

(24) कदाचार अर्थात् परीक्षाभवन में नकल करने, अनु ासनहीनता, दुर्व्यवहार तथा अन्य अवांछनीय कार्य करने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इस निर्दे ा की अवहेलना करने पर अभ्यर्थी को इस परीक्षा तथा भवि य में होने वाली परीक्षाओं से प्रतिवारित किया जा सकता है और उनके विरुद्ध आपराधिक दण्डात्मक कार्यवाही भी की जा सकती है।

(25) आवेदक को आयोग से पत्राचार करते समय, आयोग को भेजे जाने वाले पत्रों में आवेदित पद का नाम विज्ञापन संख्या, ओ0एम0आर0 क्रमांक/अनुक्रमांक, वि ाय तथा जन्म तिथि का उल्लेख अव य करना चाहिए।

(26) एक लिफाफे में एक से अधिक आवेदन पत्र होने पर अथवा एक लिफाफे में एक से अधिक विज्ञापनों के आवेदन पत्र होने पर भी सभी आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जायेगा।

(27) हस्ताक्षर न होने पर आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

(28) संभावित स्क्रीनिंग परीक्षा की तिथि एवं उससे सम्बन्धित पाठ्यक्रम का स्वरुप बाद में सूचित किया जायेगा।

(29) परीक्षा केन्द्र परिसर/लोक सेवा आयोग परिसर में मोबाइल फोन/संचार तंत्र प्रतिबन्धित है।

(चन्द्र ोखर भट्ट)
सचिव।

Advertisement No. (1/Sewa-1/2008-09)

UTTARAKHAND PUBLIC SERVICE COMMISSION, Gurukul Kangri, Haridwar - 249404

उत्तराखण्ड शासन

Date of Advertisement: 30 May, 2009

Last date for the receipt of application form: 30 June, 2009

Application forms are invited from citizens of India for selection on the post of lecturers in Government Inter Colleges / Government Girls Inter Colleges under Department of School Education, Government of Uttarakhand. Total number of vacancies may increase or decrease. Information about this advertisement can also be accessed from commission's website **www.gov.ua.nic.in/ukpsc**

1- Detail of vacancies -

Lecturer in Government Inter Colleges (female cadre) 190 posts

Sl. no.	Subject	Subject code	Number of posts	Scheduled caste	Scheduled Tribes	Other Backward Classes	General
01.	English	01	16	7	1	4	4
02.	Sociology	02	4	0	0	0	4
03.	Hindi	03	16	2	1	4	9
04.	Economics	04	8	0	2	0	6
05.	Geography	05	8	3	1	2	2
06.	Political Science	06	19	5	2	3	9
07.	Education	07	1	0	0	0	1
08.	Arts	08	2	0	0	0	2
09.	Physics	09	15	5	2	5	3
10.	Chemistry	10	26	8	2	6	10
11.	Biology	11	16	5	2	3	6
12.	Sanskrit	12	16	2	1	3	10
13.	Mathematics	13	14	5	1	1	7
14	Agriculture	14	2	1	0	0	1
15.	History	15	12	1	1	3	7
16.	Home Science	16	15	4	1	4	6
	Total		190	48	17	38	87

Lecturer in Government Inter Colleges (General Cadre) 1214 posts

Sl. no.	Subject	Subject code	Number of posts	Scheduled caste	Scheduled Tribes	Other Backward Classes	General
01.	English	01	70	25	9	26	10
02.	Sociology	02	15	2	2	4	7
03.	Hindi	03	178	43	12	32	91
04.	Economics	04	168	39	12	31	86

05.	Geography	05	94	25	7	18	44
06.	Political Science	06	150	32	11	29	78
07.	Education	07	2	0	0	1	1
08.	Arts	08	5	0	0	1	4
09.	Physics	09	98	43	14	21	20
10.	Chemistry	10	104	38	12	21	33
11.	Biology	11	92	24	13	22	33
12.	Sanskrit	12	108	27	10	23	48
13.	Mathematics	13	69	27	10	16	16
14.	Agriculture	14	4	1	0	0	3
15.	History	15	51	15	5	13	18
16.	Commerce	17	6	3	1	2	0
	Total		1214	344	118	260	492

2- Pay Scale Rs. 6,500- 200-10,500 /-

1) **Nature of Post** Non Gazetted / Contributory pension / permanent / Temporary.
2) **Age limit** 21 to 35 years. **The cut off date for age calculation is July 01, 2009.** Candidate must have attained the age of 21 years and must not have crossed the age of 35 years on July 01, 2009 i.e. they must have not been born earlier than July 02, 1974 and not later than July 01, 1988. Relaxation in Upper age limit for Scheduled castes of Uttarakhand, Scheduled Tribes of Uttarakhand, Other backward castes of Uttarakhand, Dependent of freedom fighters of Uttarakhand and Physically handicapped candidates of Uttarakhand State (if posts are reserved) will be permissible in accordance with the provisions of relevant government orders.

3- Educational Qualification -

1) **For the post of lecturer in Sociology, Geography, Economics, History, Physics, Chemistry, Agriculture, Mathematics, English, Commerce and Sanskrit** (i) A postgraduate degree in the respective subject of an University established by law in India and (ii) L.T. Diploma of a government recognized training college / college or graduate degree in education (B.Ed.) from an University established by law.
2) **For the post of lecturer in Political Science** (i) A postgraduate degree in Political Science of an University established by law in India and (ii) L.T. Diploma of a government recognized training college / college or graduate degree in education (B.Ed.) from an University established by law.
3) **For the post of lecturer in Biology** (i) A postgraduate degree in Botany or Zoology of an University established by law in India and (ii) L.T. Diploma of a government recognized training college / college or graduate degree in education (B.Ed.) from an University established by law.
4) **For the post of lecturer in Education** (i) A postgraduate degree in Education of an University established by law in India and (ii) L.T. Diploma of a government

recognized training college / college or graduate degree in education (B. Ed.) from an University established by law.

or

A degree of Master of Education (M.Ed.) of a university established by law in India.

5) **For the post of lecturer in Hindi** (i) A postgraduate degree in Hindi of an University established by law in India, (ii) A bachelor degree in Arts with Sanskrit or a certificate of Shastri Examination of Sanskrit University, Varanasi and (iii) L.T. Diploma of a government recognized training college / college or graduate degree in education (B.Ed.) from an University established by law.
6) **For the post of lecturer in Home Science** (i) A postgraduate degree in Home Arts or Home Science of an University established by law in India and (ii) L.T. Diploma of a government recognized training college / college or graduate degree in education (B.Ed.) from an University established by law.
7) **For the post of lecturer in Arts** (i) A postgraduate degree in Drawing and Painting of an University established by law in India and (ii) L.T. Diploma of a government recognized training college / college or graduate degree in education (B.Ed.) from an University established by law.

4- Preferential Qualification A candidate who has :-

I. Served in the Territorial Army for a minimum period of two years, or
II. Obtained a 'B' certificate of National Cadet Corps, or
III. Obtained a 'C' certificate of N.S.S.,

shall, other things being equal, be given preference in the matter of direct recruitment.

Note: Any other educational Qualification different from the prescribed educational qualifications is not acceptable. Candidates are instructed to fill only one O.M.R. application form for one subject.

If a candidate wants to apply for the post of lecturer in more than one subject then he/she has to fill separate application forms for each subject. Male candidate s can apply only for the posts in general cadre and the female candidates may apply for both cadres (female cadre and general cadre). For this purpose female candidates have to fill separate application forms for each cadre.

How to Apply

O.M.R. application forms with instruction can be purchased for Rs. 110/- (Application fee – Rs. 100/- + Postal Charges Rs. 10/-) for general candidates, Other backward caste candidates of Uttarakhand and Dependent of freedom fighter candidates of Uttarakhand and Rs. 70/- (Application fee Rs. 60/- + Postal Charges Rs. 10/-) for Scheduled caste candidates of Uttarakhand and Scheduled Tribe candidates of Uttarakhand in cash through the post offices mentioned below from **June 01, 2009 to June 30, 2009**. Candidates must obtain instructions along with the O.M.R. application form in order to fill it up.

Instructions for filling the O.M.R. application form

1- Candidates must go through the advertisement thoroughly and they should apply only after they are satisfied that they fulfill all the condition s of eligibility. In case of any deviation from the conditions of this advertisement , the application shall be rejected.

2- Candidates must mention the subject / cadre at the appropriate column of O.M.R. application form for the post of lecturer male / female cadre, otherwise their application form shall summarily rejected.

3- Candidates affix postal stamp Rs. 30/- on window envelope provided with the O.M.R. application form. Candidates must paste one self attested passport size photograph on the O.M.R. application form at the space provided for th is purpose, otherwise their application form shall rejected.

4- Candidates desirous of getting the benefit of one or more reservation must mention their category / categories (one or more as the case may be) in the relevant column of application form other wise they shall be de emed to be general candidates and they shall not be given the benefit of reservation.

5- Candidates must retain a photocopy of their O.M.R. application form, and in all communication to the commission they must mention the O.M.R. application form number. Application forms completed in all respect must reach the "**Secretary, Uttarakhand Public Service Commission, Gurukul-Kangri, Haridwar 249404** either by registered post / Speed post or by hand on or before 6:00 P.M June 30, 2009. Application forms through any other means shall not be accepted.

Districtwise list of Post Offices where the O.M.R. application forms are available: -

1- Almora – Almora- Main branch, Ranikhet – Main branch, Bhikiyasen – Sub branch, Dwarahaat – Sub branch, Masi – Sub branch.

2- Bageshwar – Bageshwar – Main branch, Baijnath – Sub branch, Kapkot- Sub branch, Kanda – Sub branch.

3- Chamoli – Gopeshwar – Main branch, Joshimath – Sub branch, Chamoli – Sub branch, Karnprayag – Sub branch.

4- Champawat – Champawat – Main branch, Lohaghat – Sub branch, Devidhura – Sub branch, Tanakpur – Sub branch.

5- Dehradun Dehradun – Main branch, Mussorie – Sub branch, Rishikesh – Sub branch, Vikasnagar – Sub branch, Premnagar – Sub branch, Rajpur – Sub branch, Doiwala – Sub branch, Chakrata – Sub branch.

6- Haridwar – Haridwar – Main branch, Roorkee – Main branch, Laksar – Sub branch, B.H.E.L. – Sub branch.

7- Nainital – Nainital – Main branch, Ramnagar – Sub branch, Haldwani – Main branch, Okhalkanda – Sub branch.

8- Garhwal – Pauri – Main branch, Kotdwar – Main branch, Lansdown – Main branch, Srinagar – Sub branch, Dhoomakot – Sub branch.

9- **Pithoragarh** – Pithoragarh – Main branch, Gangolihat – Sub branch, Berinag – Sub branch, Didihat – Sub branch, Dharchula – Sub branch, Thal – Sub branch, Munsyari – Sub branch.

10- **Rudraprayag** Rudraprayag – Main branch, Ukhimath – Sub branch.

11- **Tehri Garhwal** New Tehri – Main branch, Narendranagar – Sub branch, Ghansali – Sub branch,

12- **Udham Singh Nagar** Rudrapur – Main branch, Pantnagar – Sub branch, Kashipur – Sub branch, Khatima – Sub branch.

13- **Uttarkashi** Uttarkashi – Main branch, Barkot – Sub branch, Purola- Sub branch.

GENERAL INTRUCTIONS

1- The application form will not be accepted after last date of submission of the application. Incomplete, erroneous applications and applications not signed by the candidates, even if received within time will summarily be rejected.

2- Knowledge of Hindi language is essential.

3- **NATIONALITY :** A candidate for direct recruitment to a post in the service must be –

a. A citizen of India ; or

b. A Tibetan refugee, who came over to India before the 1st January, 1962 with the intention of permanently settling in India; or

c. A person of Indian origin, who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka or any of the East African countries of Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganika and Zanzibar) with the intention of permanently settling in India:

Provided that a candidate belonging to category (b) or (c) above must be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the State Government:

Provided further that a candidate belonging to category (b) will also be required to obtain a certificate of eligibility, granted by the Deputy Inspector General of Police, Intelligence Branch, Uttarakhand :

Provided also that if a candidate belongs to category (c) above, no certificate of eligibility will be issued for a period of more than one year and the retention of such a candidate in service beyond a period of one year, sh all be subject to his acquiring Indian citizenship.

4- **Marital Status** The provision in Service Rule regarding Marital Status –

(i) A male candidate, who has more than one wife living, or

(ii) A female candidate, who has married a man, already having a wife living, shall not be eligible for appointment to a post in the service :

Provided that the Government may, if satisfied that there exist special grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

5- <u>AGE LIMIT</u> – Candidate must have attained to age of 21 years and must not have crossed the age of 35 years on July 01, 2009 i.e. they must have not been born earlier than July 02, 1974 and not later than July 01, 1988.

Relaxation in upper age limit Upper age limit shall be greater by 5 years for candidates belonging to Scheduled Castes of Uttarakhand, Scheduled Tribes of Uttarakhand, Other backward classes of Uttarakhand and Dependents of freedom fighters of Uttarakhand **(only domicile of Uttarakhand State are entitled for such age relaxation)**. According to Government Order no. 17/2/1981 – Karmik – 2 dated 28-02-1985 the upper age limit shall also be greater by 03 years for the Emergency commissioned officers / short service commissioned officers / Ex-army personnel who have rendered at last 05 years service in Army. This age relaxation will also be applicable for such Army personnel / Army officers who will have to be discharged within 06 months from the last date of submission of this application form. If seats are reserved, the upper age limit shall be greater by 10 years for physically handicapped candidates of Uttarakhand.

Upper age limit shall be greater by 05 years also for the skilled players of classified games of National and International Level in accordance with Government Order no. 22/21/1983 – Karmik – 2, dated 28-11-1985. The skilled players must obtain certificates from the prescribed authority and submit to the commission when asked for and must enclose the certificate with their application forms at the time of interview.

Candidate must indicate their categories in corresponding column of the O.M.R. application form, otherwise no relaxation in age shall be allowed. The candidates claming reservation in more than one categories will be entitled to only one concession whichever is more beneficial to them.

Upper age limit in service shall be relaxed up to 50 years of age for those Uttarakhand Rajya Andolankaris who have spent less than 07 days in prison according to the Government Order no. 1270 / Thirty – 2 / 2004, dated 11 August, 2004.

6- Reservation The reservation for Scheduled Castes of Uttarakhand, Scheduled tribes of Uttarakhand and other backward class candidates of Uttarakhand shall be worthy of being admitted in accordance with the provisions of relevant Government Orders. Likewise horizontal reservation will be applicable in accordance with the provisions of Uttarakhand {Uttar Pradesh Public Service (Reservation for physically handicapped, Dependent of freedom fighters & Ex. Servicemen) Act, 1993} Adaptation & Modification order, 2002; Uttar Pradesh Public Service (Reservation for physically handicapped, Dependent of freedom fighters and Ex. Servicemen) Act, 1993 (Amendment) Act, 2009 under the categories of disability indicated by Government Order no. 2422/XXX(2)/2005 Dated 22 August, 2005. Likewise horizontal reservation will be applicable in accordance with the provisions of Government Order no. 2461/ XXX(2)/2006

Dated 06 October, 2006 for Skilled players of Uttarakhand, Government Order no. 735/ XVII(2)/2006 Dated 09 September, 2006 for females of Uttarakhand, and Government Order no. 1270/Thirty-2/2004 Dated 11 August, 2004 for Uttarakhand Rajya Andolankaris in following manner:-

(a) According to Government Order no. 1270 /Thirty- 2/ 2004, dated 11 August, 2004, weightage of 5% in selection and relaxation of age limit in service upto 50 years of age will be applicable for those Uttarakhand Rajya Andolankaris who have spent less than 07 days in prison during Uttarakhand Rajya Andolan provided that 10% horizontal reservation for this sub category will be applicable only for upcoming 05 years.

(b) According to Government Order no. 1270/ Thirty-2/ 2004, 11 August, 2004, 10% horizontal reservation will be applicable for those Uttarakhand Rajya Andolankaris who have spent more than 07 days in prison or the dependents of those Andolankaris who have injured during Rajya Andolan, as per Government Order no. 4020/XX(4)-7/Uttarakhand Andolankari/2006 Dated 08 November, 2006 as mentioned below :-

(i) Those indicated Rajya Andolankaris who have crossed 50 years of age and unwilling for Employment.

(ii) Those indicated Rajya Andolankaris who are unwilling or unable for service due to physical & mental disability.

(iii) A candidate applying for this post, as a dependent family member of the Andolankari described above, must fulfill all essential educational qualifications and age limitation.

Andolankaris falling under above category will have to render an affidavit of being covered in this category along with their application form, which will be confirmed by concern department / Authority, in accordance with the guidelines issued by Home department, through concerning District Magistrate.

10 % horizontal reservation for Andolankaris indicated in above category is applicable only for the following Dependent family members –

I. Spouse **II.** Dependent son **III.** Unmarried Daughter or widow Daughter

(c) Horizontal reservation 30% for Females of Uttarakhand, 02% for Dependent of freedom fighters of Uttarakhand, 10% for Uttarakhand Rajya Andolankaris, 05% for Ex.Servicemen of Uttarakhand, 04% for Skilled players of Uttarakhand and 03% for Physically handicapped candidates of Uttarakhand will be permissible in accordance with the provisions of relevant government orders.

The benefit of horizontal reservation under different sub-categories will only be applicable for the candidates who are domicile of Uttarakhand State.

7- The fees will be obtained in the form of cost of the O.M.R. application form which is printed on the envelop. It is not required for the candidates to deposit separate bank draft. The fees for General candidates/ Other backward class

candidates of Uttarakhand /Dependent of freedom fighter candidates of Uttarakhand is Rs. 110/- (Rs. 100/- application fee + Rs. 10/- Postal charges) and the fees for Scheduled caste candidates of Uttarakhand / Scheduled tribe candidates of Uttarakhand /Physically handicapped candidates of Uttarakhand is Rs. 70/- (Rs. 60/- application fees + Rs. 10/- Postal charges).

Note: Do not enclose any certificate along with the O.M.R. application form in support of the claims rendered in the application form.

8- If on the basis of advertisement, the number of application forms received is large and it is not being possible for the commission to interview all the candidates then the commission may apply one of the following methods to shortlist the candidates for the purpose of interview --

(a) On the basis of more merit and experience rather than minimum essential qualification given in the advertisement, or,

(b) On the basis of experience in relevant area, or,

(c) On the basis of experience gained after or before obtaining minimum essential qualification, or,

(d) By conducting screening test.

9- Minimum educational qualification is not sufficient for being called for interview and mere eligibility does not entitle a candidate to be called for interview or screening test. **In case of screening test there will be a question paper consisting of objective type questions and negative marks will be awarded for wrong answers in the process of evaluation.** Expected date of screening test/ Interview will be communicated in due course.

10- In case of large number of applications for the post / posts, the Commission may hold screening test. If being necessary, screening test will be conducted at the name of centre given below. Candidates must mention the code of examination centre of their choice in column 14 of O.M.R. application form and darken the corresponding circle. If the examination centre code is not indicated by the candidate, then the Commission may allot any examination centre by discretion.

Sl. no.	Examination centre / Name of City	Centre / City Code
01-	Almora (Almora)	01
02-	Pithoragarh (Pithoragarh)	02
03-	Nainital (Nainital)	03
04-	Haldwani (Nainital)	04
05-	Rudrapur (Udhamsingh Nagar)	05
06-	Bageshwar (Bageshwar)	06
07-	Pauri (Pauri Garhwal)	07
08-	Kotdwar (Pauri Garhwal)	08
09-	Gopeshwar (Chamoli)	09
10-	New Tehri (Tehri Garhwal)	10
11-	Rudra Prayag (Rudra Prayag)	11

12-	Uttarkashi (Uttarkashi)	12
13-	Dehradun (Dehradun)	13
14-	Haridwar (Haridwar)	14

11- **Only those candidates will appear in screening test who fulfill all the essential qualifications for the advertised post on the last date of submission of application form. Therefore, candidates must check their eligibility thoroughly, and only after that submit the application form within stipulated time period.**

12- No candidate shall be allowed in the screening test unless he/she possess valid admit card issued by the commission against him/her candidature.

13-Mere Issuance of an admit card to a candidate does not mean that his/her candidature is finally assured by the commission. Candidature of the Candidates will be decided by the commission after thorough checking and scrutiny of the Application form and enclosed documents produced by the candidate at the time of Interview.

14- On the basis of marks obtained in screening test, the number of candidates called for interview will be decided by the commission with respect to the number of vacancies. Candidates declared successful in screening test will be communicated by the commission and in this course they shall submit duly filled application form, along with all essential documents, rendered them by the commission for this purpose.

Marks obtained in the screening test shall not be added with the marks obtained in Interview. Maximum Marks for interview are 100.

15- Information about screening test, examination plan & examination result will be available on the website of Government of Uttarakhand / Public Service Commission i.e. **www.gov.ua.nic.in/ukpsc**.

16- Original certificates are required for verification at the time of interview. Candidates will then also be required to furnish copies of passport size photographs attested by their head of department or head of institution where they received education or by a Gazetted officer.

17- Candidates serving under central or state government will have to produce “No OBJECTION CERTIFICATE” from their employer at the time of interview.

18- The decision of the commission as to the eligibility or otherwise of a candidate will be final.

19-The Commission do not advise candidates about their eligibility, they should therefore read the advertisement carefully and apply only when are satisfied that they are qualified in terms of advertisement.

20- Only sons, daughters and grandsons and unmarried grand daughters of freedom fighters fall in the category of their dependents. Mere relationship with the freedom fighter is not sufficient. Such candidates must also be dependent on the freedom fighter. Attention of candidates is drawn to G.O. No. 6/1972/karmik-2, dated 15-01-1983 read with G.O of even no. dated 22-1-1982, 8-3-1983 and G.O. No. 3014/Karmik-2, 1982, dated 18-10-1982.

The candidates of this category are also required to obtain and submit certificate relating to reservation from District Magistrate on prescribed format as per G.O.No. 4/3/82-Ka-2/1997 dated 26-12-97[As applicable on UTTARAKHAND under U.P. Reorganization Act, 2000]

21- No candidate shall be appointed to a post in the service unless he be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of his duties.

22- Being successful in interview does not entitle a candidate for appointment, until the Government, after completion of such investigation, as it may consider necessary, shall satisfy itself that the candidate is suitable in all respect for appointment.

23- The Commission Reserves the right of canceling the candidature of any candidate found indulging in any malpractice i.e. hiding any Material information, Misrepresentation of facts or canvassing for candidature. All such candidates will liable to be debarred from all examinations and selections up to a period of 5 years.

24- The commission reserves the right of canceling the candidature of any candidate found indulging in any malpractice i.e. copying in examination hall or indiscipline and misbehavior. On violation of this instruction, the candidate may be debarred from this examination as well as future examinations and a criminal proceeding may also be initiated.

25- In all communication to the commission, the candidate must mention the name of Applied Post, subject, advertisement Number, Date of birth of candidate, father's Name, OMR form No. and also the roll No. if communicated.

26- In condition of being more than one application form in one envelope or being application forms of more than one advertisement in one envelope, all application forms shall be deemed to be rejected.

27- Applications not signed by the candidates will summarily be rejected.

28- Expected date of screening test and corresponding syllabus will be communicated in due course.

29-Mobile Phones / IT Gadgets are not allowed inside the premises where the examination is being conducted / premises of Uttarakhand Public Service Commission.

(Chandra Shekhar Bhatt)
Secretary